

अपील क्रमांक 221/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 221/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी

श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार),
सड़क नं.-1, कसारीडीड दुर्ग,
जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 491001
मो. 7580999009
email id : amantravelsdurg@gmail.com

उत्तरवादी

विरुद्ध श्री रविकांत साहू
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 02.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार) द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250305000488 दिनांक 11.04.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 02.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "वर्ष 2002 से आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ स्तर में जल संसाधन विभाग अंतर्गत भ्रष्टाचार के वसूली प्रकरण में (1) ENC (Engineer in Chief) CE, EE, AE सब इंजिनियर से वसूली प्रस्तावित है उनका व्यौरा (2) उपरोक्त जानकारी संभागवार मंडलवार बेसिनवार जिसमें हो वह जानकारी प्रदान करें (3) किस अधिकारी/कर्मचारी से कितनी हानि राशि में से कितनी राशि वसूली हो गई है और कितनी राशि बाकी है का व्यौरा (4) किन अधिकारी/कर्मचारी को वसूली से छूट है जिसके कारण उनसे वसूली नहीं कि जा रही है का व्यौरा (5) जिन अधिकारी/कर्मचारी कि वसूली हेतु शासन के पास प्रकरण भेजी गई है उनका व्यौरा (6) जिन अधिकारी/कर्मचारी की हानि वसूली प्रकरण में शासन से वसूली आदेश उपरांत वसूली की गई उनका व्यौरा (7) जिन अधिकारी/कर्मचारी कि हानि वसूली प्रकरण में शासन से वसूली नहीं करने के आदेश उपरांत वसूली नहीं कि गई उनका व्यौरा" की जानकारी प्रदाय करने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220250305000488 दिनांक 05.03.2025 को जनसूचना अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख

अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को आवेदन प्रस्तुत किया था। किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण असंतुष्ट होकर ऑनलाईन आवेदन पत्र क्रं 220250305000488 दिनांक 11.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दि. 02.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट एवं ऑनलाईन माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपिलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा मेरे द्वारा चाही गई जानकारी को देने से इनकार किया जा रहा है जो कि गलत है मेरे द्वारा चाही गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में संधारित है, मैंने जो जानकारी चाहिए थी अगर उस प्रारूप में नहीं है तो मैं कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि मुझे इस प्रारूप में दिया जाए मेरे द्वारा चाही गई जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय में जिस भी रूप में संधारित करके रखी जाती है जिस भी रूप में वह जानकारी है उसकी प्रति गिनकर मुझे बताई जाए यह अगर वह सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में संधारित है तो उसकी सीडी दी जाए, इस प्रकार से जानकारी देने से मना करना सूचना अधिनियम के तहत गलत है मैं प्रथम अपिलीय अधिकारी से निवेदन करूंगा कि वे प्रमुख अभियंता कार्यालय में मेरे द्वारा चाही गई जानकारी जिस रूप में है वह मुझे दिलाई जाए प्रथम अपिलीय अधिकारी से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करें अधीनस्थ जन सूचना अधिकारी को सपोर्ट करने जैसा गलत काम ना करें, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को शासन के द्वारा इसीलिए लाया गया है कि शासन प्रशासन में चल रहे सारे कार्यों का आम जनता के समक्ष पारदर्शिता बनी रहे, ना कि बहाने बाजी कर उन जानकारी को आम जनता तक पहुंचने से रोकने की कवायत की जाए, इसलिए मैं प्रथम अपिलीय अधिकारी से निवेदन करूंगा कि वह अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए मुझे मेरे द्वारा चाही गई जानकारी निशुल्क दिलाने का कष्ट करें मेरे अनुपस्थिति में भी अपील प्रकरण की सुनवाई गुण दोष के आधार पर किया जाए।" अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी देने से इन्कार किये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

4. जनसूचना अधिकारी दिनांक 02.05.2025 को सुनवाई में अनुपस्थित थे। उन्होंने उनके पत्र क्रमांक 4112275/91/छ.ग./2025/3607, दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220250305000488 दि. 05.03.2025 जनसूचना प्रकोष्ठ

को दिनांक 05.03.2025 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष की ओर दि. 06.03.25 को प्रस्तुत की गई। स्थापना कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 28.03.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदक द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी है, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रं. 523/जी-1312/2009/1-सूअप्र, दिनांक 15.03.2010 द्वारा प्राप्त पत्र में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 05.10.2009 अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर जारी मार्गदर्शिका के कंडिका 10 एवं कंडिका 15 में किये गये प्रावधान अनुसार जिस रूप में जानकारी मांगी गई है, उस तरह से संधारण नहीं किया जाता है। अंकित टीप अनुसार आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/91/छ.ग./2025/3004, दिनांक 03.04.2025 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया।

5. जनसूचना अधिकारी ने आवेदक द्वारा दिनांक 05.03.2025 को प्रस्तुत आनलाइन आवेदन का निराकरण दिनांक 03.04.2025 को अर्थात् 30 दिनों में किया जो कि अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा के अंतर्गत है।

6. अपील के निराकरण हेतु यह तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को दिया गया पत्र अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है? आवेदक ने अपने आवेदन में "वर्ष 2002 से आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ स्तर में जल संसाधन विभाग अंतर्गत भ्रष्टाचार के वसूली प्रकरण में (1) ENC (Engineer in Chief) CE, EE, AE सब इंजिनियर से वसूली प्रस्तावित है उनका व्यौरा (2) उपरोक्त जानकारी संभावित मंडलवार बेसिनवार जिसमें हो वह जानकारी प्रदान करें (3) किस अधिकारी/कर्मचारी से कितनी हानि राशि में से कितनी राशि वसूली हो गई है और कितनी राशि बाकी है का व्यौरा (4) किन अधिकारी/कर्मचारी को वसूली से छूट है जिसके कारण उनसे वसूली नहीं कि जा रही है का व्यौरा (5) जिन अधिकारी/कर्मचारी कि वसूली हेतु शासन के पास प्रकरण भेजी गई है उनका व्यौरा (6) जिन अधिकारी/कर्मचारी की हानि वसूली प्रकरण में शासन से वसूली आदेश उपरांत वसूली की गई उनका व्यौरा (7) जिन अधिकारी/कर्मचारी कि हानि वसूली प्रकरण में शासन से वसूली नहीं करने के आदेश उपरांत वसूली नहीं कि गई उनका व्यौरा" की जानकारी से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। आवेदक के आवेदन में वर्ष 2002 से दस्तावेज अर्थात् 23 वर्षों की जानकारी एक ही आवेदन में मांग की गयी। आवेदक ने अपने आवेदन में किसी प्रकरण या किसी शासकीय सेवक के नाम का उल्लेख भी नहीं किया, जिसके संबंध में उस नस्ती की प्रति आवेदक को उपलब्ध करायी जा सके। इस प्रकार आवेदक का आवेदन स्वयं में सुस्पष्ट नहीं है। आवेदक द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर अनेक वर्षों की अस्पष्ट जानकारी चाही गयी है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप विधिसम्मत है।

8. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर, प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है:-

1. उत्तरवादी पक्ष अर्थात् जन सूचना अधिकारी द्वारा, आवेदक का आवेदन स्वयं में सुस्पष्ट न होने के कारण अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी हेतु कृत कार्यवाही अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है।
2. अपीलार्थी यदि चाहें तो किसी प्रकरण का पूर्ण विवरण देते हुये सुस्पष्ट आवेदन कर सकते हैं।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़

पृ.क्र./221/बो.प्र./नि.स./2025/4039

नवा रायपुर, दिनांक 05/5/2025

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अब्दुल शेख करीम (पत्रकार), सड़क नं.-1, कसारीडीह दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 491001 मोबाईल न. - 7580999009, email id : amantravelsdurg@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अग्रवाल
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)